प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2016**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-220/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2016-17, दिनांक-11 जुलाई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत जनपद-सन्तकबीरनगर में घाघरा कटान से विलुप्त 05 गांव के 205 परिवारों में से अनुसूचित जाति के 06 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 8.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त अनुरोध के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रू0-41805.47 लाख में से उपर्युक्तानुसार वांछित कुल धनराशि रू0-8.25 लाख (रूपये आठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत हैं।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016 /बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखी जायेगी तथा 03 माह के अन्दर निश्चित रूप से व्यय कर ली जायेगी ।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुदान संख्या-83 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को योजनान्तर्गत बजट प्राविधान की सीमा में व्यय किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक एवं जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उक्त धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब योजनान्तर्गत ग्रामों के चयनित लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(8) जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा।

(10) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा आहरित धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।

(11) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-लोहिया ग्रामीण आवास योजना-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक- 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-24/2016/851(1)/38-4-2016, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- आयुक्त, बस्ती मण्डल, उ0प्र0 ।
3- जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर, उ0प्र0।
4- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त विकास आयुक्त, बस्ती मण्डल, उ0प्र0।
6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद-सन्त कबीर नगर, उ0प्र0।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद-सन्त कबीर नगर, उ0प्र0।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(व्यय-व्ययक) अनुभाग-1
11- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
14- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
पी0एन0 त्रिपाठी
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in